हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
प्रहलाद vs रामजीलाल वगैरा दावा	
वकील फरीकेन उप0। पुकार हुई। वास्ते बहस दिनांक 19/8/19 को पेश हो।	
वकील फरीकेन उप0। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27/8/19 को पेश हो।	
वकील फरीकेन उप0। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

व इजलास– श्री तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

उनवान

प्रहलाद दत्तक पुत्र रामप्रसाद आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी परदमपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र चिरंजी लाल निवासी परदमपुरा हाल निवासी मकान नं0 43 ब्रहमपुरी तिवारी बाल निकेतन के पास रेलवे हॉस्पीटल के पीछे बजरिया सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. किरोड़ी पुत्र चिरंजीलाल ।
3. मुरारी पुत्र कल्याण । जाति ब्राहम्ण निवासी परदमपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 96/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कअई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री केशव कुमार गोतम वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

दावा वादी डिक्री किया जाता है। ग्राम परदमपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 107, 204, 281, 294 कुल किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा मे हिस्सा 1/4 का, खसरा नं0 56, 310, 321 कुल किता 3 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 का, खसरा नं0 129 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 का, खसरा नं0 57, 65, 203 कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण का, खसरा नं0 190 रकबा 14 बिस्वा मे हिस्सा 1/6 का, खसरा नं0 74 रकबा 02 बिस्वा मे हिस्सा 1/8 का, खसरा नं0 178 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 का, खसरा नं0 43/2 रकबा 15 बीघा मे हिस्सा 1/3 का वादी प्रहलाद को मृतक रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन के हद तक दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक रामप्रसाद की आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 रामजीलाल किरोड़ी पुत्रान चिरंजी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा वादी प्रहलाद का उसके नैसर्गिक पिता चिरंजी के हिस्से की दर्ज भूमि मे से नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादी 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम परदमपुरा तहसील सपोटरा की उक्त आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी से करावे।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का .....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.08.2019 को जारी की गई।

(तारामती वैष्णव)
(तारामती वैष्णव) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला–करौली

मुहर

मुद्दई		मुद्दायलह	
	रूपया		रूपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टॉम्प वकालतनामा 3. स्टॉम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहान 6. फीस कमीश्नर 7. बबत् इजराय हुक्मनामा 8. मुतफर्रिक मीजान		1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टॉम्प अर्जी 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहान 5. फीस कमीश्नर 6. बबत् इजराय हुक्मनामा 7. मुतफर्रिक मीजान	
जोड़		जोड़	

मु0न0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
96/11	दावा	16.11.11	27.08.19

प्रहलाद दत्तक पुत्र रामप्रसाद आयु 60 साल जाति ब्राहम्ण निवासी परदमपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र चिरंजी लाल निवासी परदमपुरा हाल निवासी मकान नं0 43 ब्रहमपुरी तिवारी बाल निकेतन के पास रेलवे हॉस्पीटल के पीछे बजरिया सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. किरोड़ी पुत्र चिरंजीलाल ।
3. मुरारी पुत्र कल्याण । जाति ब्राहम्ण निवासी परदमपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र इस्करार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थितः— श्री केशव कुमार गोतम वकील वादी।
श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद पत्र वादी के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर कथन किया है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम परदमपुरा तहसील सपोटरा मे स्थित है। जमाबंदी सम्बत् 2054 से 2057 मे अंकित खाता संख्या 15 खसरा नं0 107 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 204 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 281 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 294 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा मे इन्द्राज कल्याण पुत्र सांवलिया जाति ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 चिरंजी रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/2 दर्ज है। उक्त जमाबंदी मे नामान्तरकरण सं0 195 के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण चिरंजी के स्थान पर रामजीलाल, किरोड़ी, प्रहलाद पुत्र चिरंजी ब्राहम्ण के नाम दर्ज है एवं नामान्तरकरण सं0 203 के द्वारा मृतक रामप्रसाद के स्थान पर रामजीलाल किरोड़ी प्रहललाद पि0 चिंरजी हिस्सा 3/8 कल्याण पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/8 जाति ब्राहम्ण के नाम अंकन दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 35 की राजस्व जमाबंदी मे चिरंजी पुत्र श्रीकिशन के नाम दर्ज थी। खसरा नं0 188 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही अव्वल थी। मृतक चिरंजी के फोत होने का इन्द्राज नामान्तरकरण सं0 195 मे दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 35 मे इन्द्राज चिरंजी रामप्रसाद के नाम दर्ज था। खाता सं0 36 अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 56 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 310 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 321 रकबा 03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा। खाता सं0 57 मे अंकित खसरा नं0 129 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे मृतक रामप्रसाद के हिस्सा 1/2 दर्ज है। अन्य सहखातेदारों से किसी प्रकार का विवाद भी नही है इसलिए पक्षकारा नही बनाया है। इसी प्रकार खाता सं0 78 मे अंकित खसरा नं0 57 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 65 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 203 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल

(सुमित्रा रामभारती/बेरवा) उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला-करौली

अंकित खसरा नं0 43/2 रकबा 15 बीघा मे मृतक रामप्रसाद व मृतक चिरंजी पुत्रान श्रीकिशन का हिस्सा 1/2 दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 69 मे अंकित खसरा नं0 190 रकबा 14 बिस्वा मे मृतक चिरंजी रामप्रसाद का नाम अंकित है। संशोधित वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संबत् 2070 से 2073 मे वादी मुताबिक सजरा अन्य सहखातेदारों के अलावा मृतक रामप्रसाद की जमीन पर भोतिक रूप से काबिज काश्त है। वादी ने मृतक रामप्रसाद का समस्त चाल चलावा हिन्दू धर्म के अनुसार पिण्ड व तर्पण इन्यादि किये थे मृतक की पगड़ी भी समाज के व्यक्तियों ने वादी के बांधी थी। वादी मृतक रामप्रसाद का वैधानिक पुत्राधिकारी होने के कारण उनकी समस्त भूमि पर सैपरेट खातेदारी करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 10.10.2011 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 से कहा कि मुताबिक कब्जा मृतक रामप्रसाद का वादी वैधानिक वारिश होने के कारण व मृतक रामप्रसाद के कब्जे की भूमि पर वादी का भौतिक कब्जा काश्त होने के कारण तहसील मे चलकर तकास्मा व दुरस्ती इन्द्राज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण एक दम नाराज हो गये और तकास्मा कराने से इंकार कर दिया। इसलिए वादी ने वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात मे वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन के हद तक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक रामप्रसाद की आराजी पर रामजीलाल किरोड़ी पुत्रान चिरंजी का राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ करने एवं प्रवितादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रवितादी सं0 3 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 14, 76, 57, 77, 83, 105, 190, 75 मे वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हक अधिकार नही है ना ही मृतक रामप्रसाद की आराजीयात पर रामजीलाल किरोड़ी पुत्रान चिरंजी का नाम हजफ कराने का अधिकार वादी को है। प्रतिवादी से वादी ने विवादित भूमि का छीनने की गरज से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झूंठा मुकदमा पेश किया है जो प्रारम्भ से ही खारिज होने योग्य है। वादी शुद्व हस्त पेश नही हुआ है। वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। संशोधित वाद पत्र का सजरा आंशिक रूप से गलत दर्ज किया है। विवादित भूमि हम प्रतिवादीगण एवं वादी की पुश्तैनी भूमि है जिस पर हम सब अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। इसलिए जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी सं0 4 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद रिकार्डेड साक्ष्य सबूत के बिना निराधार प्रस्तुत होने से खारिज योग्य है खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर दादरसी सहित किता आठ तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी प्रहलाद पीडब्ल्यू 1, गवाह भगवान सहाय पीडब्ल्यू 2, जगराम पीडब्ल्यू 3 एवं राधेश्याम पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी(खतौनी) ग्राम परदमपुरा सम्बत् 2054–57 प्रदर्श 1 किता सात, नकल जमाबंदी(खतौनी) ग्राम परदमपुरा सम्बत् 2058–61 पीडब्ल्यू 2 किता छः, नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम परदमपुरा प्रदर्श पीडब्ल्यू 3 किता चार, जमाबंदी नकल ग्राम परदमपुरा सम्बत् 2066–2069 प्रदर्श 4 किता चार, पंचनामा आम जनता परदमपुरा, ग्राम पंचायत एकट का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र फोटोप्रति, फोटो प्रति नामान्तरकरण ख0 नं0 52, 53, 33 ग्राम गढी का गांव पेश किये है। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद अंतिम मौका ना तो कोई मौखिक साक्ष्य पेश किये है और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

आराजी खाता सं0 14,57,76,77,83,105 व खसरा नं0 190, 75 मे वादी दत्तक पुत्र की हैसियत से रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन के हक तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने तथा मृतक रामप्रसाद की आराजी पर रामजीलाल, किरोड़ी पुत्रान चिरंजी व मुरारी पुत्र कल्याण की खातेदारी हजफ करवाने का अधिकारी है ? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नं0 8 का निर्णय भी इस तनकी के साथ किया जा रहा है। जमाबंदी (खतोनी) ग्राम परदमपुरा सम्बत् 2054–57 प्रदर्श 1 किता चार के अनुसार खाता सं0 15, 35, 36, 57, 79, 69, 70, 5, 9, एवं जमाबंदी (खतौनी) सम्बत् 2058–61 प्रदर्श 2 किता पांच के अनुसार खाता सं0 10, 63, 51, 95, 65, 70, 78, 79, 80 मे चिरंजी, रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन एवं कल्याण पुत्र श्री किशन सभी खातो मे अपने हिस्से अनुसार सहखातेदार के रूप मे दर्ज है। वादी द्वारा वाद पत्र मे प्रस्तुत पंचनामा दिनांक 30.09.2012, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत एकट, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति एवं ग्राम गढी का गांव की जमाबंदी फोटोप्रति सम्बत् 2065–68 से यह स्पष्ट है कि प्रहलाद ही मृतक रामप्रसाद का उत्तराधिकारी है। उक्त सभी दस्तावेजात मे प्रहलाद की वल्दियत रामप्रसाद दर्ज है। ग्राम गढी का गांव की जमाबंदी मे भी वादी प्रहलाद के पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज है उसी के नाम मृतक रामप्रसाद की भूमि उसके दत्तक पुत्र की हैसियत से दर्ज हुई है। पंचनामा जो प्रस्तुत किया है उसमे यह लिखा हुआ है कि श्रीकिशन के तीन पुत्र थे चिरंजी, रामप्रसाद एवं कल्याण। रामप्रसाद लाऔलाद फौत हुआ था, कल्याण श्रीकिशन के छोटे भाई सांवलिया के गोद गया था। रामप्रसाद ने हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार गांव मे हवन पूजन करवाकर प्रहलाद को गोद लिया था उस समय चिरंजी भी मौजूद था तभी से रामप्रसाद की जमीन व मकान पर कब्जा प्रहलाद का चला आ रहा है। रामप्रसाद का समस्त किया कर्म प्रहलाद ने किया था। रामप्रसाद की पगड़ी समाज व रिश्तेदारों ने प्रहलाद के बंधवायी थी इस बात की जानकारी सभी व्यक्तियों को है। प्रहलाद मृतक रामप्रसाद का एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी है। वादी प्रहलाद से प्रतिवादी वकील द्वारा की गई जिरह से भी यह तथ्य सामने आये है कि वादी प्रहलाद ही रामप्रसाद का एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी है। वादी के समर्थन मे स्वतंत्र गवाह भगवान सहाय पुत्र नंदकिशोर जाति ब्रहम्ण निवासी मसावता पीडब्ल्यू 2 से की गई जिरह इस प्रकार है, मैं वादी को जानता हूँ एवं प्रतिवादीगण को भी जानता हूँ। विवादित जमीन ग्राम परदौनपुरा मे स्थित है। विवादित जमीन के खसरा नं0 नही जानता हूँ। वादी प्रहलाद का दत्तक पुत्र का सक्षम अधिकारी का रजिस्ट्रेशन नही हुआ है। वादी प्रहलाद के रामजीलाल व किरोड़ी सगे भाई है। इनके पिता का नाम चिरंजीलाल है। वादी के पिता चिरंजीलाल भी तीन भाई है चिरंजीलाल, रामप्रसाद व कल्याणप्रसाद । जमीन पर सभी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। गोद समाज के रीति रिवाज अनुसार हुआ है। गवाह पीडब्ल्यू 3 जगराम पुत्र इन्दर जाति मीना निवासी परदमपुरा ने भी वादी प्रहलाद को रामप्रसाद द्वारा गोद लेने की बात स्वीकार की है। गवाह पीडब्ल्यू 4 राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति ब्रहम्ण निवासी पुसोदा तहसील व जिला सवाई माधोंपुर से प्रतिवादी वकील द्वारा की गई जिरह इस प्रकार है। रामप्रसाद मेरे रिश्ते मे चाचा श्वसुर लगते है। रामप्रसाद के संतान हुई थी जो मर गया सुना था देखा नही। प्रहलाद मेरा रिश्ते मे साला लगता है यह कहना सही है कि रामप्रसाद की पगड़ी प्रहलाद के बंधी थी। प्रहलाद के हिन्दू रीति रिवाज से पुत्र नही होने के कारण पगड़ी बंधी थी। शपथ पत्र मे खसरा नं0 मैने ही लिखवाया था अब खसरा नं0 याद नही है। पगड़ी की रस्म समाज के सभी व्यक्ति, परिवार एवं रिश्तेदारों के सामने हुई थी। मै हिन्दू धर्म मे गोद की रस्म को समझता हूँ गोद की लिखावट पंचों के सामने करते है, बतासे बांटे जाते है, नारियल बांटे जाते है, गोद लेने के समय मै मौजूद था, तब प्रहलाद की उम्र लगभग 22–23 साल थी। रामप्रसाद की उस समय कितनी उम्र होगी मुझे पता नही। गोदनामा रजिस्टर्ड नही करवाया गया। इस प्रकार उक्त गवाह जो गांव के भी है, गांव से बाहर के भी है एवं रिश्तेदार भी है सभी इस बात को स्वीकार करते है कि वादी प्रहलाद ही रामप्रसाद का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। प्रवितादीगण ने अपनी प्रतिरक्षा मे ना तो कोई मौखिक साक्ष्य करवाई है ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी

पुत्र होने मे कोई एतराज नही है। इसलिए वादी प्रहलाद दत्तक पुत्र की हैसियत से रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन के हक तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने तथा मृतक रामप्रसाद की आराजी पर रामजीलाल किरोंड़ी पुत्रान चिरंजी की खातेदारी हजफ करवाने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 1 एवं तनकी नं0 8 वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

2. **आया वादी उक्त आराजी (मृतक रामप्रसाद के हिस्से तक) मे सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण को बाधा/मदाखलत न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नं0 1 एवं तनकी नं0 8 वादी के पक्ष मे साबित हो चुकी है तो वादी मृतक रामप्रसाद के हिस्से तक जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

3. **आया वादी उक्त आराजी के सम्बन्ध मे मुताबिक कब्जा व सजरा खानदान रिकार्ड का इन्द्राज दुरस्त करवाने तथा नामान्तरकरण सं0 195,203,219 निरस्त करवाने का अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नं0 1 एवं तनकी नं0 8 के अनुसार वादी मृतक रामप्रसाद के हक तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की पुष्टि हो चुकी है तो रिकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त तो होना ही है। इसलिए यह तनकी भी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

4. **आया वाद ग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिस पर सभी हिस्से अनुसार काबिज है अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अयोग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर है। तनकी सं0 2 के आधार पर वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है, इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

5. **आया वाद पत्र मे सजरा खानदान आंशिक रूप से गलत है तथा वाद पत्र मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर है। प्रतिवादी ने अपनी प्रतिरक्षा मे ना तो कोई मौखिक साक्ष्य करवाई है और ना ही कोई दस्तोजी साक्ष्य पेश किये है। सजरा खानदान किस तरह गलत है क्या सही है, कुछ भी साबित नही किया है वाद पत्र सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो वादी अपनी तनकीयों मे साबित कर चुका है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. **आया वादी के पास कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नही है अतः मृतक रामप्रसाद के हक की भूमि पर मात्र वादी का हक न होकर सजरा खानदान के अनुसार हिस्सेदारी होगी ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर है। इस कथन को स्वयं वादी स्वीकार कर रहा है कि वादी के पास कोई रजिस्टर्ड गोदनामा नही है किन्तु वादी ने अपने सभी दस्तावेजात एवं स्वतंत्र गवाह के आधार पर यह साबित किया है कि वादी ही मात्र मृतक रामप्रसाद का वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादी वकील ने दौराने बहस आर.आर.डी. 1996 हमीद बनाम सगतसिह पेज 134 नजीर पेश की है। जिसमे यह अंकित है कि " Plantiff has proved his adoption by way of two witness in support of his statement- The burden was on the defendant to disprove adoption of 'S' to 'M' but he did not ask any question in cross examination to the witnesses etc.- there is no iota of evidence in favour of deft. (Paras 7, 8) " उक्त नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। वादी ने अपने दत्तक के तथ्यों को साबित करने के लिए उक्त प्रकरण मे स्वयं के साथ कुल चार गवाहों के बयान कराये है। इसलिए वादी बिना रजिस्टर्ड गोदनामा के भी मृतक रामप्रसाद के हक हिस्से तक विवादित आराजीयात मे से घोषणा खातेदारी करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

7. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी मृतक रामप्रसाद का एक मात्र वारिश एवं उत्तराधिकारी है जिसे रामप्रसाद के हक हिस्से तक विवादित आराजीयात मे से घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है। वादी तनकी नं0 1, 2, 3 8 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है जबकि तनकी नं0 4, 5, 6 को प्रतिवादी अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिए वादी का वाद पत्र

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। ग्राम परदमपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 107, 204, 281, 294 कुल किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा मे हिस्सा 1/4 का, खसरा नं0 56, 310, 321 कुल किता 3 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 का, खसरा नं0 129 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 का, खसरा नं0 57, 65, 203 कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण का, खसरा नं0 190 रकबा 14 बिस्वा मे हिस्सा 1/6 का, खसरा नं0 74 रकबा 02 बिस्वा मे हिस्सा 1/8 का, खसरा नं0 178 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 का, खसरा नं0 43/2 रकबा 15 बीघा मे हिस्सा 1/3 का वादी प्रहलाद को मृतक रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन के हद तक दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक रामप्रसाद की आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 रामजीलाल किरोड़ी पुत्रान चिरंजी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा वादी प्रहलाद का उसके नैसर्गिक पिता चिरंजी के हिस्से की दर्ज भूमि मे से नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादी 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम परदमपुरा तहसील सपोटरा की उक्त आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली